



डी.जी.पी. प्रकरण में सरकार की निष्पक्षता लगी दाव पर

शिमला/शैल। क्या किसी को प्रदेश के डी.जी.पी. के हाथों या उसके माध्यम से अपनी जान और माल का खतरा हो सकता है? क्या ऐसी शिकायत को डी.जी.पी. अपने ही स्तर पर झूठ का पुलिन्दा कहकर शिकायतकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवा सकता है? क्या ऐसी शिकायत पर अदालत के दरखल पर भी पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करके अपने निष्पक्ष होने का दावा कर सकती है? क्या डी.जी.पी. के खिलाफ शिकायत आने पर भी सरकार उसी तंत्र पर भरोसा करके एक निष्पक्ष जांच हो पाने का दावा कर सकती है? यह और ऐसे ही कई सवाल निशान्त द्वारा प्रदेश के डी.जी.पी. के खिलाफ एस.पी. शिमला को भेजी शिकायत के बाद उठ खड़े हुए हैं। क्योंकि जान और माल का ही खतरा हो जाने से बड़ा कोई आरोप नहीं हो सकता। जो भाजपा नेतृत्व प्रदेश की बिगड़ती कानून और व्यवस्था पर लगातार सरकार पर हमलावर होता रहा है वह ऐसे आरोपों पर मौन साध ले तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। आज पूरे प्रदेश की नजरें इस प्रकरण पर लग गयी है। इसलिये इस पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है।

एस.पी. शिमला को संबोधित और मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री गृह सचिव, महामहिम राज्यपाल, प्रधानमंत्री तथा महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित निशान्त शर्मा की

शिकायत प्रदेश के हर संवेदनशील नागरिक के लिये एक गंभीर चिन्ता का विषय बन गयी है। शिकायत के मुताबिक निशान्त शर्मा और उसके परिवार को दो व्यक्ति धर्मशाला स्थित मकलोडगंज में जान और माल

निशान्त शर्मा एस.पी. शिमला को एक तीन पन्नों की मेल भेजकर डी.जी.पी. के खिलाफ एफ.आई.आर. करने का आग्रह करते हैं। यह मेल साइट पर आने के बाद डी.जी.पी. निशान्त शर्मा के खिलाफ उन्हें बदनाम करने का आपराधिक

भी अपनी शिकायत में हिमाचल पुलिस को भेजता है। इसमें कुछ लोगों के नाम भी लिखता है। लेकिन यह सामने होने के बाद भी हिमाचल पुलिस कोई मामला दर्ज नहीं करती है। इसी बीच उच्च न्यायालय इस सब का स्वतंत्र

है। निशान्त के आरोपों का बड़ा केन्द्र डी.जी.पी. है। यह सही है कि इस मामले की जांच से पहले डी.जी.पी. को किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जिस शिकायत के ज्यादा आरोप डी.जी.पी. के ही खिलाफ हो उस जांच की विश्वसनीयता स्थापित करने के लिये क्या किसी बाह्य एजेंसी से जांच करवाना श्रेयस्कर नहीं होगा? क्योंकि जिस शिकायत में कुछ लोगों के सीधे नाम लिये गये हों क्या उसमें भी अनाम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करना न्याय संगत हो सकता है? निश्चित है कि पुलिस की नजर में जब डी.जी.पी. का किसी भी तरह से इसमें शामिल होना नहीं पाया गया होगा तभी अनाम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया होगा। लेकिन क्या इससे सरकार की निष्पक्षता और जांच की विश्वसनीयता स्थापित हो पायेगी? यदि सरकार ने जांच के दौरान डी.जी.पी. को विभाग से अलग कर दिया होता या यह मामला सी.बी.आई. को सौंप दिया होता तो क्या इससे सभी की प्रतिष्ठा बहाल नहीं रहती? संभव है कि यह सारे सवाल आने वाले समय में अदालत के सामने भी उठें। क्योंकि डी.जी.पी. पर उठने वाले सवालों को तो विभाग अपनी प्रतिक्रिया में पहले ही सोशल मीडिया का प्रचार करार दे चुका है। डी.जी.पी. के अदालत में प्रतिवादी बनने या न बनने की स्टेज तो मामले का चलान दायर होने के बाद आयेगी।

- जब शिकायत में कई नाम हैं तो मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ कैसे
- क्या सरकार यह जांच सी.बी.आई. को सौंपेगी या डी.जी.पी. को पद से हटाएगी
- इतने बड़े मामले पर विपक्ष की चुप्पी भी सवालों में

की धमकी देते हैं। इस धमकी की शिकायत लेकर वह एस.पी. को मिलते हैं और मामला दर्ज करने का आग्रह करते हैं। इसी दिन डी.जी.पी. का फोन निशान्त शर्मा को आता है और उसे डी.जी.पी. से शिमला आकर मिलने की बात की जाती है। डी.जी.पी. के फोन आने के बाद उसी दिन निशान्त शर्मा को यह धमकी मिलने के बाद उसके साथ पूर्व में घटे कुछ वाक्यों को लेकर

मामला दर्ज करवा देते हैं। निशान्त के खिलाफ यह मामला दर्ज होने की जानकारी उसे दो पत्रकार देते हैं। जिनके मोबाइल नम्बर शिकायत में दर्ज हैं। शिकायत में निशान्त शर्मा उसके साथ 25 अगस्त को गुरुग्राम में घटी घटना की जानकारी देता है। इस संबंध में हरियाणा पुलिस के पास दर्ज करवाई गयी शिकायत और जांच में सी.सी.टी.वी. कैमरे की जांच में सामने आये तथ्यों की जानकारी

संज्ञान लेकर स्टेटस रिपोर्ट तलब करता है।

उच्च न्यायालय में जब स्टेटस रिपोर्ट आती है तब महाधिवक्ता डी.एस.पी. ज्वालामुखी के आश्वासन पर मामले में एफ.आई.आर. दर्ज कर लेने की प्रतिबद्धता अदालत को देते हैं। महाधिवक्ता की प्रतिबद्धता के बाद धर्मशाला पुलिस निशान्त की शिकायत पर कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती

राज्यपाल ने भरमौर से 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर खाना किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आकांक्षी जिला चंबा के

कहा कि भारत की पहचान आज सम्पूर्ण विश्व में एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में



जनजातीय उपमंडल मुख्यालय भरमौर में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने

उभरी है। देश की नव-उन्नत प्रौद्योगिकी का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। शिव प्रताप शुक्ल ने इस दौरान

'विकसित भारत संकल्प यात्रा' के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर खाना किया। उन्होंने कहा कि दो माह तक चलने वाली इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी जनसाधारण तक पहुंचाना है।

राज्यपाल ने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि विभिन्न योजनाओं का लाभ समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित बनाया जाए। उन्होंने लोगों से भी केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं से जुड़कर इनसे लाभ उठाने का आह्वान किया।

राज्यपाल ने प्रसिद्ध - ऐतिहासिक एवं धार्मिक 84 मंदिर परिसर में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना भी की।

इंदिरा गांधी के दूरदर्शी निर्णयों का देश को हो रहा लाभ: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक रिज पर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री

एक अद्वितीय उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना



इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में इंदिरा गांधी के योगदान को याद करते हुए कहा कि आज देश को उनके दूरदर्शी निर्णयों का लाभ मिल रहा है। उन्होंने आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए भू-सुधार कानून लाने और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने जैसे साहसिक फैसले लिये। उन्होंने बांग्लादेश की मुक्ति में अहम योगदान दिया है, जो देशभक्ति का

जीवन बलिदान कर दिया।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कनैल) धनी राम शांडिल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमदित्य सिंह, विधायक हरीश जनार्थन, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, महापौर नगर निगम शिमला सुरेश चौहान, पार्षदगण एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

हमीरपुर में बिजली बोर्ड के मुख्य अभियन्ता का कार्यालय खोला जाए: सुरेश कुमार

शिमला/शैल। भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने मुख्यमंत्री

अभियन्ता का कार्यालय वर्षों से मण्डी में कार्यरत है जिस कारण हमीरपुर



सुखविन्दर सिंह सुक्खू से उनके सरकारी आवास ओकओवर में भेंट की तथा उनका कुशलक्षेम जाना। उन्होंने मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भी सौंपा जिसमें उन्होंने हमीरपुर में बिजली बोर्ड के मुख्य अभियन्ता का कार्यालय खोलने की मांग की।

सुरेश कुमार ने अवगत करवाया कि हमीरपुर के लोगों की यह चिरप्रतीक्षित मांग है क्योंकि बिजली बोर्ड के मुख्य

के लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मण्डी में कार्यरत कार्यालय यथावत चलता रहे लेकिन हमीरपुर में मुख्य अभियन्ता का कार्यालय अलग से खोलना जनहित में रहेगा।

मुख्यमंत्री ने सुरेश कुमार के आग्रह को सुनने के पश्चात उन्हें शीघ्र ही उनकी मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया।

एशियन विकास बैंक के शिष्टमंडल ने बागवानी मंत्री से भेंट की

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी सिंचाई एवं मूल्य संवर्द्धन परियोजना (एच.पी.शिवा) के तहत एशियन विकास बैंक का एक शिष्टमंडल 14 से 21 नवम्बर, 2023 तक राज्य के आठ दिवसीय दौरे पर है।

शिष्टमंडल ने बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी से भेंट की तथा परियोजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। बागवानी मंत्री ने एशियन विकास बैंक की वित्तीय सहायता से एचपी शिवा परियोजना के तहत स्वच्छ पौध सामग्री, नर्सरी विकास, फसल कटाई उपरान्त प्रबन्धन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करने पर बल दिया।

इसके उपरान्त सचिव बागवानी की अध्यक्षता में शिष्टमंडल के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदेश में लगभग 6000 हेक्टेयर में लागू की जाने वाली एचपीशिवा मुख्य परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। इस परियोजना पर पांच वर्षों के लिए 130 मिलियन डॉलर का वित्तीय पोषण एशियन विकास बैंक द्वारा किया जाएगा।

शिष्टमंडल में टीम लीडर सुने किम, उप टीम लीडर कृष्ण रौतेला, अंतर्राष्ट्रीय बागवानी विशेषज्ञ श्याम खड्का, वित्त विशेषज्ञ जूलिया पोन्नैया और तरुण अग्रवाल शामिल हैं।

राज्यपाल ने महिला सशक्तिकरण के लिए समाज में बदलाव लाने पर दिया बल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समाज में परिवर्तन लाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि उन्हें समाज में उचित एवं समान अवसर प्रदान करने होंगे, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ सकें।

राज्यपाल सुनील उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा 'महिला सशक्तिकरण - भारतीय परिप्रेक्ष्य' विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। शुक्ल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण एक ऐसा विषय है जिस पर आज समाज और राष्ट्र को चर्चा करने और उचित ढंग से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में महिलाओं को विशेष सम्मान प्राप्त था जो मध्यकाल में कम होने लगा।

हालांकि आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर आसीन हैं, लेकिन आम ग्रामीण महिलाएं अभी भी अपने घरों तक सीमित रहने के लिए मजबूर हैं।

राज्यपाल ने कहा कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की तुलना में शहरी क्षेत्रों की अधिक महिलाएं कामकाजी हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारतीय शहरों में लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं सॉफ्टवेयर उद्योग में काम करती हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में लगभग 90 प्रतिशत महिलाएं मुख्य रूप से कृषि और संबंधित क्षेत्रों में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करती हैं। उन्होंने कहा कि हमारा देश तेजी से प्रगति कर रहा है, लेकिन हम इस गति को तभी बनाए रख सकते हैं, अगर हम लैंगिक असमानता को दूर कर सकें और महिलाओं के लिए

पुरुषों के समान शिक्षा, पदोन्नति और वेतन सुनिश्चित कर सकें।

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लैंगिक असमानता और महिलाओं के विरुद्ध कुप्रथाओं को दूर करने के लिए कई संवैधानिक और कानूनी अधिकार बनाए और लागू किए गए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

राज्यपाल ने कहा कि भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई अन्य योजनाएं संचालित की हैं इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं मनरेगा, सर्वशिक्षा अभियान, जननी सुरक्षा योजना (मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए संचालित योजना) आदि हैं।

इस अवसर पर राज्यपाल ने समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया।

प्रदेश सरकार प्रोजेक्ट डेवलपर कम्पनियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयासरत: जगत सिंह नेगी

शिमला/शैल। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए निवेशकों को अनुकूल सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। राज्य सरकार प्रदेश में स्थापित विभिन्न परियोजनाओं में शामिल प्रोजेक्ट डेवलपर कम्पनियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयासरत है।

यहां प्रदेश में स्थापित विभिन्न परियोजनाओं में शामिल प्रोजेक्ट डेवलपर कम्पनियों के साथ पटा राशि (लीज मनी) के संदर्भ में आयोजित बैठक के दौरान राजस्व मंत्री ने कहा कि विभिन्न प्रोजेक्ट डेवलपर कम्पनियों ने अपना-अपना पक्ष रखा, जिस पर प्रदेश सरकार गहन विचार करेगी और लीज मनी से संबंधित मामलों को निपटाने का

प्रयास किया जाएगा। प्रदेश सरकार राज्य में निवेश करने वाली कम्पनियों को सभी सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ आवश्यक सहयोग भी प्रदान कर रही है।

उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को ऐसे सभी मामलों की सूची तैयार कर सभी कम्पनियों के साथ समन्वय स्थापित कर वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के बहुमूल्य संसाधनों का सदुपयोग कर विकास को गति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चन्द शर्मा, निदेशक ऊर्जा हरिकेश मीणा, विभिन्न प्रोजेक्ट डेवलपर कम्पनियों के प्रतिनिधि, ऊर्जा तथा राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिये सांस्कृतिक दलों से आवेदन आमंत्रित

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों, योजनाओं व कार्यक्रमों का गीत-संगीत एवं नाटकों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने के लिए निजी सांस्कृतिक दलों को दो वर्ष के लिए सूचीबद्ध किया जा रहा है। स्क्रीनिंग में प्रस्तुति के आधार पर उत्तीर्ण होने वाले सांस्कृतिक दलों को सूचीबद्ध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए हिमाचल प्रदेश सहकारिता अधिनियम के अधीन पंजीकृत सांस्कृतिक दल आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक निजी सांस्कृतिक दल में कम से

कम चार महिला कलाकारों सहित कुल 11 कलाकार होने अनिवार्य हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के सांस्कृतिक दल अपना आवेदन निदेशालय, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हि.प्र., शिमला-171002 के कार्यालय में 04 दिसम्बर, 2023 तक जमा करवा सकते हैं। इस तिथि के उपरांत आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

आवेदनकर्ता सूचीबद्धता की शर्तें एवं आवेदन-पत्र को विभागीय वेबसाइट www.himachalpr.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

शैल समाचार

संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा

संयुक्त संपादक: जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता – यह बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल क्या वक्त की जरूरत है



हिमाचल सरकार ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनावों में ऐसा आश्वासन प्रदेश के कर्मचारियों को दिया गया था। प्रदेश में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना 1986 में की गयी थी। 1986 के बाद इसे दो बार बन्द किया गया। संयोगवश बन्द करने का फैसला दोनों बार भाजपा शासन के दौरान ही लिया गया।

जुलाई 2019 में पूर्व जयराम ठाकुर की सरकार के दौरान कर्मचारियों के ही आग्रह पर लिया गया था। आज इसे दोबारा खोलने का फैसला क्या इसलिये लिया जा रहा है कि बन्द करने का फैसला पूर्व सरकार ने लिया था। 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को दस गारंटीयां भी दी थी। लाखों युवाओं को रोजगार देने का वायदा भी किया गया था। लेकिन जब इन गारंटीयों को पूरा करने की बात आयी तब प्रदेश के सामने राज्य की कठिन वित्तीय स्थिति का राग अलाप कर श्रीलंका जैसे हालात होने की चेतावनी दे डाली। इसके बाद प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र लाकर 92 हजार करोड़ की देनदारी विरासत में मिलने की बात कर दी। इस कर्ज की विरासत के नाम पर कितनी बार कितनी सेवाओं और वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि कर दी गई है यह सिर्फ उपभोक्ता ही जानता है। इस कठिन वित्तीय स्थिति के नाम पर ही सरकार ने अब तक 12000 करोड़ का कर्ज ले लिया है। जो स्थितियां आज प्रदेश की चल रही है उनके मध्य नजर यह स्पष्ट है कि सरकार आम जनता से किया गया कोई भी वायदा पूरा नहीं कर पायेगी। क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार से लगातार समझौता करती जा रही है। बल्कि भ्रष्टाचार अब सरकार के एजेंडे पर ही नहीं है। इस परिदृश्य में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल दोबारा खोलकर प्रदेश पर सौ करोड़ का बोझ डालना कितना हितकारी होगा यह आम सवाल बन गया है। जब जुलाई 2019 में ट्रिब्यूनल को बन्द कर दिया गया था और कर्मचारी मामले प्रदेश उच्च न्यायालय को ट्रांसफर कर दिये गये थे तब इन मामलों के आंकड़ों पर ही उच्च न्यायालय से न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी की गयी थी। मुख्य न्यायालय में जजों की संख्या 13 से 17 कर दी गयी थी। अब फिर इस संख्या को 17 से 21 करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अब जब ट्रिब्यूनल फिर से खोल दिया जायेगा तो कर्मचारियों के मामले वहां से ट्रांसफर होकर ट्रिब्यूनल में वापस आएंगे और इसका असर उच्च न्यायालय पर पड़ेगा और उसके विस्तार का रास्ता रुक जायेगा। दूसरी ओर ट्रिब्यूनल के लिये एक अलग भवन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्योंकि पुराना भवन अब उच्च न्यायालय के पास नहीं है। ऐसे में यह अहम सवाल हो जाता है कि क्या कर्ज लेकर ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक है। इस समय कर्मचारियों के कई मामले लंबित पड़े हुये हैं। 2016 में जो वेतनमानों में संशोधन हुआ था उसके मुताबिक सरकार अभी तक सरकारी कर्मचारियों को भुगतान नहीं कर पायी है। सेवानिवृत्त कर्मचारी इन लाभों के लिये उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं। दर्जनों मामलों पर उच्च न्यायालय कर्मचारियों को यह भुगतान 6% ब्याज सहित करने के आदेश कर चुका है लेकिन सरकार इन फसलों पर अमल नहीं कर पा रही है। ऐसी करोड़ों की देनदारियां सरकार के नाम खड़ी हो गयी हैं और कर्मचारियों में रोष फैलता जा रहा है। इस वस्तुस्थिति में ट्रिब्यूनल की बहाली कुछ सेवानिवृत्ति बड़े अधिकारियों के पुनः रोजगार का साधन बनने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर पायेगा। बल्कि कर्मचारियों को जो न्याय आज तक उच्च न्यायालय से मिल रहा है उसके मिलने का रास्ता भी लम्बा हो जायेगा। यह ट्रिब्यूनल पुनः खोलने से पहले सरकार को यह आंकड़ा जारी करना चाहिये की जब यह संस्थान खोला गया था तब कितने मामले इसके पास आये थे। प्रतिवर्ष औसतन कितने मामलों का फैसला हुआ है। उच्च न्यायालय में कर्मचारियों के कितने मामले प्रतिवर्ष निपटाये गये? आज इसे खोलने की आवश्यकता क्यों आयी है? इस पर प्रतिवर्ष कितना खर्च होगा और उसका साधन क्या होगा। सरकार जब तक तार्किक तरीके से अपना पक्ष जनता में नहीं रखेगी तब तक इस प्रयास को कर्ज लेकर घी पीने का जुगाड़ ही माना जायेगा।

पहले हमास के खिलाफ निंदा प्रस्ताव तो पारित करें, फिर इजरायल का भी विरोध कर लें



गौतम चौधरी

इस्लामिक चरमपंथी संगठन हमास के खिलाफ इजरायल की सैन्य कारवाई को लेकर भारत का राजनीतिक खेमा, साफ तौर पर दो भागों में विभाजित दिख रहा है। जहां एक ओर सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के नेता इजरायल का समर्थन करते दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वामदल सहित कई इस्लामी रुझान की पार्टियों ने फिलिस्तीन के बहाने हमास के प्रति हमदर्दी दिखाई है। इधर कांग्रेस इस मुद्दे पर भी मध्यम मार्ग को ही चुना है। हालांकि भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है और फिलिस्तीन की आम जनता पर इजरायल की सैन्य कारवाई किसी कीमत पर उचित नहीं है।

इस पूरे प्रकरण में अभी तक भारत सरकार से लेकर किसी भी राजनीतिक पार्टियों ने हमास के खिलाफ खुले तौर पर निंदा प्रस्ताव पारित नहीं किया है, जबकि भारत के कुछ मुस्लिम संगठनों ने हमास के समर्थन में रैलियां निकाली हैं। यहां तक कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी या फिर सरकार ने भी हमास के खिलाफ कड़े शब्दों में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। इससे पुरातनपंथी इस्लामिक ताकतों को बल मिलेगा, जो एक बार फिर भारत को इस्लामिक आतंकवाद के जद में लाकर खड़ा कर सकता है।

बता दें कि भारत किसी भी प्रकार के आतंकवाद का विरोध करता रहा है। यह भारतीय विदेश नीति का

अंग है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी कई बार कई मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। बावजूद इसके हमास द्वारा इजरायल के आम लोगों पर किये गये हमले की निंदा भारत सरकार ने नहीं की है। यह कहीं न कहीं भारत में पनप रहे इस्लामिक चरमपंथियों को बल प्रदान कर रहा है। यही नहीं इस मामले में कांग्रेस का मौन भी बेहद खतरनाक है। सबसे ज्यादा खतरनाक तो वामदलों के द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकालना है। निःसंदेह फिलिस्तीन में इजरायल जो कर रहा है वह अमानवीय है लेकिन हमास ने जो किया उसे किस तर्क से सही ठहराया जा सकता है? जो लोग फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं, उन्हें उन्हीं रैलियों में सबसे पहले हमास की निंदा करनी चाहिए फिर इजरायल के खिलाफ भाषण प्रारंभ करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बिना हमास की निंदा किये रैलियां हो रही हैं। इससे भारत के अंदर पल रहे इस्लामिक चरमपंथियों में गलत संदेश जा रहा है, जो न तो भारतीय राष्ट्रवाद के हित में है और न ही देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सूट करता है।

इस मामले में वामदल की तुलना में भूमिगत वाम संगठनों की सोच ज्यादा सकारात्मक और परिपक्व दिख रहा है। उन्होंने निःसंदेह फिलिस्तीन का समर्थन किया है लेकिन हमास की कृत्य पर भी वे संजीदा हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वे फिलिस्तीनी जनता के साथ हैं लेकिन हमास के द्वारा आम इजरायलियों पर किया गया हमला कतई उचित नहीं है।

भारत विगत लंबे समय से इस्लामिक आतंकवाद की जद में रहा है। यहां कई आतंकी हमले हो चुके हैं। यहां तक कि भारतीय लोकतंत्र के हृदय स्थल संसद भवन पर भी इस्लामिक आतंकवादी हमला कर चुके हैं। ऐसे में भारत के राजनेताओं या फिर बुद्धिजीवियों को ऐसा कोई भी

मौका नहीं देना चाहिए जिससे इस्लामिक चरमपंथी मजबूत हों और पाकिस्तान व ईरान की तरह देश की सत्ता को अपनी उंगलियों पर नचाये।

यहां इस बात का जिक्र कर दें कि वर्ष 1924 में जब तुर्की के खलीफा को बर्तानिया सल्तनत के द्वारा अपदस्त किया गया तो विश्वव्यापी खिलाफत आन्दोलन प्रारंभ हुआ। उस आन्दोलन में भारतीय मुसलमानों ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। अपने तात्कालिक राष्ट्रीय हितों को देखते हुए भारत के कुछ स्वतंत्रता सैनानियों ने भी उस इस्लामिक आन्दोलन का समर्थन किया था। यह सच है कि भारत के विभाजन के लिए कई अन्य कारक भी जिम्मेदार थे लेकिन बिना कुछ सोचे समझे खिलाफत आन्दोलन में भारतीय नेताओं का कूद जाना भी देश के विभाजन का एक प्रमुख कारण बना। दो राष्ट्र के सिद्धांत पर पाकिस्तान बनाने की इस्लामिक पुरातन पंथियों का साथ देने वाले आज न तो पश्चिमी पाकिस्तान में दिख रहे हैं और न ही बांग्लादेश में उनका कोई नामोनिशान बचा है। इसलिए क्षणिक राजनीतिक लाभ के लिए फिलिस्तीन के बहाने हमास का समर्थन ठीक नहीं है।

इजरायल-फिलिस्तीन युद्ध को लेकर दुनिया का हर मुल्क अपने-अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख, अपनी रणनीति बनायी है। यहां तक कि मुस्लिम देशों ने भी खुले तौर पर हमास का समर्थन नहीं किया है। कई इस्लामिक देशों ने तो हमास की निंदा भी की है। ऐसे में हमें भी अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर संवेदनशील होना चाहिए। इस युद्ध को लेकर भारत सरकार ने जो रणनीति अपनाई है वह हमारे देश के लिये हितकर है। वहीं इस देश के हर एक राजनीतिक दल और राजनेता की रणनीति होनी चाहिए। इस मामले में हमारी सरकार को भी थोड़ा कठोर होना पड़ेगा। उसे हमास के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करना चाहिए। साथ ही इजरायल द्वारा आम फिलिस्तीनियों पर अमानवीय हमलों का खुलकर विरोध करना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के जनजातीय जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा ने रफ्तार पकड़ी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लॉन्च की तैयारियां तेज

केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पूरे देश में पहुंचाने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व पहल के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के पहले चरण में हिमाचल प्रदेश के तीन जनजातीय जिलों अर्थात् चंबा, स्पीति और किन्नौर को कवर किया जा रहा है, जो इसकी पहुंच के महत्वपूर्ण विस्तार का प्रतीक है।

पंजाब और हरियाणा के लिए यात्रा 22 नवंबर को शुरू होने वाली है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रयास देश की लगभग हर ग्राम पंचायत को कवर करना है। इसके तहत पंजाब में 13,646 स्थानों को कवर किया जाएगा, जबकि हरियाणा में यह यात्रा 6,537 स्थानों तक पहुंचेगी और हिमाचल प्रदेश में 3,799 स्थानों को लक्षित किया गया है।

तत्काल सेवाओं को सुगम बनाने के लिए, डाक विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों द्वारा विभिन्न शिविर लगाये जाएंगे। सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में नागरिकों को सूचित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए आरंभ की गई इस यात्रा का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना है।

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरकारी योजनाओं के संदेश देने वाली विशेष रूप से डिजाइन की गई आईईसी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वैनों को स्थानीय भाषाओं में सूचना सामग्री से सज्जित किया गया है, और ये ऑडियो-विजुअल, ब्रोशर, पैम्फलेट, बुकलेट और स्टैंडर्ड के माध्यम से जानकारी का प्रसार करेंगी। फोकस क्षेत्रों में स्वच्छता, वित्तीय सेवाएं, बिजली,

एलपीजी कनेक्शन, आवास, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पानी आदि शामिल हैं।

लाभार्थियों के साथ बातचीत, उपलब्धियों का जश्न, ऑन-द-स्पट विजुअल प्रतियोगिताएं, ड्रोन प्रदर्शन, स्वास्थ्य शिविर और मेरा युवा भारत स्वयंसेवक नामांकन सहित जन भागीदारी कार्यक्रम जमीनी गतिविधियों का अभिन्न अंग बनेंगे।

सबसे बड़ी आउटरीच पहलों में से एक विकसित भारत अभियान का लक्ष्य 25 जनवरी, 2024 तक 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों और 3,600 शहरी स्थानीय निकायों को कवर करना है। 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण के साथ संचालित यह व्यापक अभियान राज्य सरकारों, जिला प्राधिकरणों, शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है।

एआई अपने साथ अपनी तरह की चुनौतियां और नैतिक सवाल लायी है

पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों के लिए सत्य के सिद्धांतों के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता दर्शानी आवश्यक: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

शिमला। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मीडिया जगत को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। भारतीय प्रेस परिषद द्वारा 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के दौर में मीडिया' विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में ठाकुर ने कहा कि आज जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि का दिन है। उन्होंने कहा कि अब से कुछ ही वर्षों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, इसलिए उन्हें आशा है कि मीडिया केवल भारत के परिवर्तन की कहानी को ही नहीं, बल्कि उसके विभिन्न सूबों और क्षेत्रों के अरबों लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं पर भी प्रकाश डालने में तेजी से रचनात्मक भूमिका निभाएगा।

आज के दिन के महत्व को रेखांकित करते हुए ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए समर्पित पत्रकारों की अथक प्रतिबद्धता का सम्मान करता है।

कार्यक्रम के विषय पर अपने विचार रखते हुए ठाकुर ने कहा कि 'हम इतिहास में एक ऐसे महत्वपूर्ण दौर में हैं, जो उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा त्वरित गति से संचालित वैश्विक विकास का साक्षी बन रहा है। डिजिटल युग ने एक नए युग का सूत्रपात किया है, जहां समाचार सामग्री तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। यद्यपि एआई समाचार रिपोर्टिंग में निस्संदेह एक नया आयाम जोड़ती है, लेकिन इसकी सीमाओं को पहचानना भी

'आपातकाल के दौरान वैकल्पिक संचार' के लिए एमेच्योर और सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देने की योजना

बुनियादी हैम उपकरणों की लागत पर प्रदान किया जाएगा 60 हजार रुपये उपदान

शिमला। प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश अति संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल है। भूकंप, बाढ़ अथवा भू-स्वलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावित क्षेत्रों की संचार प्रणाली भी प्रभावित होती है, जिससे राहत एवं बचाव कार्यों में भी अनावश्यक देरी हो जाती है। इन्हीं बाधाओं से पार पाने तथा संचार प्रणाली को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा शौकिया रेडियो को बढ़ावा देने की योजना तैयार की गई है।

हिमाचल प्रदेश में दूर-दराज के ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां आमतौर पर मानसून, बर्फबारी या किसी भी विपरीत मौसम में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अन्य क्षेत्र से संपर्क कट जाते हैं। ऐसे कई ब्लैकआउट जोन भी राज्य में हैं, जहां संचार की सुलभ सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। ऐसे क्षेत्रों में प्रभावी आपातकालीन संचार चैनल के वैकल्पिक माध्यम विकसित करने की आवश्यकता अरसे से महसूस की जाती रही है। संकट और आपदाओं के समय में, जब वायरलाइन, सेल फोन और संचार के अन्य पारंपरिक साधन विफल हो जाते हैं, तो शौकिया रेडियो का उपयोग अक्सर आपातकालीन संचार के साधन के रूप में किया जाता है।

आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्र की संचार प्रणाली को सबसे पहले क्षति होती है। प्राकृतिक आपदा के

एआई समाचारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन वह अनुभवी समाचार संपादकों की जगह नहीं ले सकती: अनुराग ठाकुर

कुछ पश्चिमी पूर्वाग्रहों द्वारा प्रचारित मिथ्या धारणाओं को दूर करना महत्वपूर्ण है: ठाकुर

महत्वपूर्ण है। 'समाचार जुटाने और समाचार प्रसार के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती

सावधानी बरतना और मीडिया में एआई का जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।



महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करते हुए ठाकुर ने यह भी रेखांकित किया कि संपादक के पास जो वर्षों के अनुभव, संदर्भ और निरीक्षण की बारीकियां हैं, वह हमेशा एआई से एक कदम आगे रहेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि एआई मॉडल अपने प्रशिक्षण डेटा से पूर्वाग्रह न अपनाएं, ताकि मीडिया की सत्यनिष्ठा से समझौता न हो। इन चुनौतियों को प्रभावी ढंग से हल करना और इनमें कमी लाना, पत्रकारिता की सत्यनिष्ठा को बनाये रखने के लिए आवश्यक

ठाकुर ने कुछ पश्चिमी संस्थाओं द्वारा उत्पन्न की जा रही नकारात्मक धारणा की पड़ताल करते हुए कहा कि भले ही हम प्रेस की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, लेकिन हम उन लोगों को नजरअंदाज नहीं सकते, जो हमारे राष्ट्र की भावना को कमजोर करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति और मीडिया आउटलेट हैं, जो भारत के खिलाफ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार मिथ्या प्रचार करते हैं। ऐसी धारणाओं को चुनौती देना, झूठ उजागर करना और सत्य की जीत सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने

कहा कि भारत के चित्रण और उसके मीडिया के संबंध में कुछ पश्चिमी पूर्वाग्रहों द्वारा लगातार प्रचारित की जा रही गलत धारणाओं को दूर करना महत्वपूर्ण है। औपनिवेशिक खुमारी अक्सर धारणाओं को विकृत कर देती है, लेकिन हम दावा करते हैं कि हमारा मीडिया परिदृश्य गतिशील, चिंतनशील है और अपने गुणों पर आधारित है। भारत का मीडिया इसकी सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतिबिंब है, और हमें वैश्विक विमर्श में इसके योगदानों पर गर्व करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अपने यहां जीवंत और स्वतंत्र प्रेस का दावा करता है, जो विविध मतों और विचारों के लिए मंच प्रदान करती है।

ठाकुर ने कई अन्य व्यवसायों के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में प्रवेश कर चुके मीडिया को आगाह करते हुए कहा कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां एक बटन दबाकर गलत सूचना को बढ़ा-चढ़ाकर फैलाया जा सकता है। हमारी सरकार मीडिया को एक विवेकशील दृष्टिकोण अपनाने, सनसनी फैलाने के नुकसान से बचने और हमारे समाज के ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने वाली धारणाओं से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय मीडिया को हमारे राष्ट्र के हितों की रक्षा करनी चाहिए और हमारी प्रिय एकता और अखंडता को स्वतंत्र में डालने वाले भारत विरोधी विचारों को स्थान देने से बचना चाहिए।

केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय प्रेस परिषद की भूमिका की सराहना की कि प्रेस निष्पक्ष एवं जिम्मेदार तरीके से पत्रकारीय नैतिकता व मानकों का पालन करते हुए राष्ट्र की सेवा में अपनी भूमिका निभाए। उन्होंने मीडिया से भीतर और बाहर दोनों जगह हो रहे बदलावों को लगातार अपनाने का आहवान किया। डॉ. मुरुगन ने कॉपीराइट, रचनात्मकता, मौलिकता और साहित्यिक चोरी के मामलों में एआई के अतिक्रमण के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा कि किसी भी अन्य तकनीक की तरह, एआई को भी नैतिक मानवीय निगरानी की आवश्यकता है।

इससे पहले, इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्य अतिथि, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि फर्जी खबरें, जानबूझकर गलत और शरारतपूर्ण जानकारी, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और प्राथमिकताएं, सत्ता की पक्षधरता की प्रवृत्ति और आर्थिक लालच ने आज मीडिया के प्रति लोगों का भरोसा घटा दिया है। उन्होंने कहा कि आज मीडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती विश्वसनीयता की है और आश्चर्य की बात यह है कि इस पहलू को बड़े आनंदपूर्वक नजरअंदाज किया जा रहा है।

कार्यक्रम के विषय के बारे में अपने विचार रखते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन ने हमारे समाचार, सूचना और मनोरंजन को प्राप्त करने तथा उसका उपयोग करने के तरीके को बदल दिया है। एआई हमारे रोजमर्रा के जीवन का अभिन्न अंग बन गयी है। साथ ही, यह अपने साथ अपनी तरह की चुनौतियां और नैतिक सवाल लायी है, जैसे कि गलत सूचना का प्रसार, डीप फेक, इको चैंबर का सृजन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने तथा समाज में अराजकता और अस्थिरता पैदा करने के लिए सूचना की माइक्रो टारगेटिंग। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों का सामना करते हुए, पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, जिससे सच्चाई, सटीकता और जवाबदेही के सिद्धांतों के प्रति और भी अधिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।

धनखड़ ने कहा कि यद्यपि एआई में नुकसान पहुंचाने की क्षमता है, लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि यह तकनीक यहां रहेगी और हमें बदलते परिदृश्य के अनुरूप ढलना होगा, अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए एआई की परिवर्तनकारी क्षमता को एक उपकरण के रूप में नियोजित करना होगा, साथ ही इसके दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा भी प्रदान करनी होगी। उन्होंने कहा, 'यह सर्वोपरि है कि पत्रकार और मीडिया आउटलेट ईमानदारी के उच्चतम मानकों को बनाए रखें। तथ्य-जांच, स्रोत का सत्यापन और संपादकीय स्वतंत्रता बनाए रखना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो चुका है। हमें एआई को उन मूल्यों से समझौता नहीं करने देना चाहिए जो स्वतंत्र और जीवंत प्रेस की बुनियाद हैं। धनखड़ ने रेखांकित किया कि एआई भले ही एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, लेकिन यह मानवीय स्पर्श, सत्य के लिए प्रतिबद्धता और पत्रकारों का अटूट समर्पण है जो मीडिया को हमारे समाज में अच्छाई के लिए ताकत बनाता रहेगा।

इस अवसर पर जी-20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि मीडिया संस्थाएं जो तकनीक को विकल्प के रूप में न देखकर, मानवीय प्रतिभा को बढ़ाने वाले साधन के रूप में देखती हैं, वे खोजी और दस्तावेजी पत्रकारिता को फिर से जीवंत करने में सक्षम रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि अनूठी कहानियों से लैस एआई द्वारा तैयार ऑडियो और वीडियो कहानी कहने की सभी सीमाओं को अभूतपूर्व रूप से तोड़ देंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया में एआई के अनियंत्रित उपयोग से हमारे लोकतंत्र को होने वाले नुकसान के बारे में सजग रहना आवश्यक है। एआई की सहायता से वैयक्तिकृत समाचारों को क्यूरेट करना हमारे समाज में विविध दृष्टिकोणों तक हमारे संपर्क को सीमित करने वाले इको चैंबर का निर्माण करने का जोखिम उत्पन्न करता है।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने की।

दोपहर को लिये जा रहे फैसले शाम तक बदलने पड़ रहे

शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष

दी। लेकिन थोड़ी देर बाद दूसरी



अधिसूचना आ गयी और इसमें पहले को खारिज कर दिया गया। इससे पहले परिवहन निगम लगगेज पॉलिसी लायी और बुजुर्गों की दवाई से लेकर बच्चों के खेलने के समान पर भी किराया वसूला। विशेष पथकर

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर आरोप लगाया है कि इसमें आपसी तालमेल का गंभीर अभाव है। क्योंकि सरकार द्वारा दोपहर को लिये फैसले शाम को ही बदल दिये जा रहे हैं। जय राम ठाकुर ने यह आरोप तब लगाया जब सरकार ने शनिवार को दोपहर में यह अधिसूचना जारी की पटवारी और कानूनगो अब से राज्य सरकार के कर्मचारी होंगे। यह अधिसूचना आने पर संबंधित कर्मचारियों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं देनी शुरू कर

लगाकर प्रदेश की पर्यटन को तबाह कर दिया। जब जनता में रोष पनपा तो इन फैसलों को भी बदलना पड़ा। स्टोन क्रेशर बंद करने और फिर खोलने का फैसला भी सोच विचार के अभाव को ही दिखता है। माध्यमिक शिक्षा में पहले गेस्ट शिक्षक योजना की बातें की गयी और बाद में उसे बदल दिया गया।

इस तरह फैसले लेने और उन पर अमल से पहले ही उन्हें बदल देना यही दिखता है कि बिना व्यापक विचार विमर्श के फैसले



क्या सरकार में आपसी तालमेल का अभाव है?



क्या वित्तीय दबाव के कारण अव्यवहारिक फैसले लिये जा रहे हैं?

लिये जा रहे हैं। सरकार में आपस में तालमेल का गहरा संकट चल रहा है। इस तरह की कार्य प्रणाली का आम जनता पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसे बिना सोच विचार लिये जा रहे फैसलों से जनता में यही संदेश जा रहा है कि सरकार पैसा इकट्ठा करने के लिये कोई भी फैसला ले रही है। लेकिन फैसलों की यह व्यवहारिकता नहीं देखी जा रही है कि उनका आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज सरकार हरित ऊर्जा के नाम ई-वाहन खरीद योजना पर 50% तक अनुदान देने की घोषणा कर रही है। लेकिन

इस घोषणा के बाद भी लोग आगे नहीं आ रहे हैं। इससे यह स्पष्ट संकेत जाता है कि लोग इस योजना की पहाड़ी क्षेत्र में सफलता को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं

है। फिर आज प्रदेश जिस तरह के वित्तीय संकट में चल रहा है उसमें यह सवाल और भी अहम हो जाता है कि क्या कर्ज लेकर ऐसी योजनाओं को लाना आवश्यक है।

विकसित भारत संकल्प यात्रा के हिमाचल में चलेंगे 90 रथ प्रदेश और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं की संपूर्ण जानकारी रथ में रहेगी उपलब्ध

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कहा विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा पिछले 9 वर्षों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाएं समाज कल्याण, गरीब कल्याण और समस्त समाज के

का लाभ ले सके।

हिमाचल प्रदेश में इस यात्रा में 90 गाड़ियां प्रदेश की योजनाओं की जानकारी लेकर के चलने वाली है। हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों में यह गाड़ियां चल चुकी है और 25 नवंबर से शेष हिमाचल के अंदर भी यह रथ



उत्थान के लिए चलाई गई।

यह केंद्र सरकार की एक व्यंगम यात्रा पूरे देश में प्रारंभ की गई है, 15 नवंबर को झारखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा का श्रीगणेश किया। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी यह यात्रा प्रारंभ हो चुकी है जिसके प्रथम चरण में हिमाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र में यह यात्रा अभी चल रही है।

बिंदल ने कहा की इस यात्रा का उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमारे गांव-गांव में यह रथ पहुंचेंगे। इसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की संपूर्ण जानकारी रहेगी। गरीबों के लिए, माताओं बहनों के लिए, रोजगार संबंधित कौन सी योजनाएं हैं, महिला मंडलों के लिए कौन सी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधित और जो योजनाएं केंद्र की सरकार द्वारा चलाई जा रही की जानकारी आम जनमानस को प्राप्त करवाई जायेगी, ताकि प्रत्येक व्यक्ति उन योजनाओं

चलने शुरू हो जाएंगे।

इन रथों में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की संपूर्ण जानकारी पत्र और पुस्तकों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई जायेगी। इन रथों के अंदर कुछ वीडियो रील उपलब्ध रहेगी जो की इनमें दिखाई जाएगी, जिससे बहुत सारी जानकारियां भी लोगों को प्राप्त होगी।

इसमें सभी मोबाइल एप्स की जानकारी होगी, जिसको हम अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके सभी योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की सभी योजनाओं की जानकारी भी हमें वहां से प्राप्त हो सकती है।

उन्होंने कहा कि यह यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जितने लोगों को हम जोड़ेंगे उतनी जल्दी हम गरीब कल्याण योजनाओं को धरातल पर पहुंचा सकेंगे, इस यात्रा में सभी लोगों को बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए।

अरनी विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या हुई दो हजार

शिमला/शैल। अरनी विश्वविद्यालय के चांसलर विवेक

शिक्षा नियामक आयोग कई विश्वविद्यालयों को अपने निरीक्षण



सिंह उच्च शिक्षा को एक नया आयाम प्रदान कर रहे हैं यह दावा किया है अरनी विश्वविद्यालय ने एक प्रेस ब्यान में। इस विश्वविद्यालय को 2009 में यूजीसी की मान्यता प्राप्त हुई थी और तब यहां पर विद्यार्थियों की संख्या केवल 200 थी जो आज बढ़कर 2023 में 2000 तक पहुंच गयी है। इस समय में प्रदेश में निजी क्षेत्र में खुले कुछ विश्वविद्यालय बन्द होने की कगार पर पहुंच गये हैं। उच्च

के बाद जर्माना तक लगा चुका है। बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने कोविड के कारण उस दौरान विद्यार्थियों की संख्या कम होने का तर्क दिया है और उसका प्रभाव अब तक चले आने की बात की है। ऐसे में यदि किसी विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो यह स्वतः प्रमाणित हो जाता है कि वह अपने समकक्षों से कुछ तो बेहतर सेवाएं प्रदान कर रहा होगा। यूजीसी के मानकों की अनुपालना

न होने के कोई आरोप इस विश्वविद्यालय के खिलाफ अब तक सामने नहीं आये हैं। इसका श्रेय विश्वविद्यालय के चांसलर को दिया जा रहा है। दावा किया गया है कि कुलपति विवेक सिंह एक दशक पहले यहां आये थे उन्होंने विश्वविद्यालय में नए शिक्षण तकनीकों साफ्ट स्किल्स और आधुनिक पाठ्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया और विश्वविद्यालय को उत्तर भारत में विद्यार्थियों के आकर्षण का केंद्र बना दिया। यहां आधुनिक युग के पाठ्यक्रम प्रस्तुत किये जा रहे हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साईंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे विकसित होने वाले क्षेत्र शामिल हैं। जो विद्यार्थियों को तेजी से बढ़ते जॉब मार्केट के लिये तैयार करते हैं। विश्वविद्यालय इंटर डिविजनरी लर्निंग को बढ़ावा देता है जिससे छात्रों को व्यक्तित्व विकास में बढ़ावा मिलता है। विश्वविद्यालय के इस प्रसार का श्रेय चांसलर विवेक सिंह को दिया जा रहा है।